कामगारों का राष्ट्रीय सम्मेलन

28 सितम्बर 2018, मावलंकर हाल, नई दिल्ली घोषणाओं का मसौदा

आज केंद्रीय ट्रेंड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशनें और एसोसिएशनें अपने सतत आंदोलनात्मक कार्यक्रमों को जारी रखते हुए कामगारों का राष्ट्रीय सम्मेलन कर रही है। उन्होंने 8 अगस्त 2017 को तालकटोरा स्टेडियम में हुए कामगारों के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को अंजाम दिया। सरकार के मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियनों पर हमलों के खिलाफ, कठिन संघर्षों से मिले मजदूर अधिकारों पर हमला के खिलाफ, मजदूर–विरोधी और नियुक्ता उन्मुखी कानूनों के खिलाफ, मौजूदा कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ और आईएलओ कन्वेंशन के उल्लंघन के खिलाफ तीन महीने के सघम देशव्यापी प्रचार के बाद 9–10–11 नवम्बर 2017 को तीन दिवसीय महापड़ाव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

हमने सरकार से आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को रोकने के लिए, नए सम्मानजनक कामों के सृजन के लिए, 18000रू. प्रति महा न्यूनतम वेतन के लिए, और सभी के लिए 6000रू. प्रति माह पेंशन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को बेचने की सभी तरकीबों के खिलाफ, पी.पी.पी. और आऊटसोर्सिंग जैसे तरीकों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की और इसके बाद 23 जनवरी 2018 के बाद अलग–अलग तरीखों में लगभग सभी राज्यों में सत्याग्रह और विरोध–प्रदर्शन किए।

केन्द्रीय सरकार न केवल मजदूर वर्ग के संगठित आंदोलनों की वाजिब और वास्तविक मांगों पर चुप्पी साधी है बल्कि मजदूरों, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के खिलाफ हमला तेज किया है। द्वि और त्रिपक्षीय वार्ताओं को नजरअंदाज कर दिया। सरकार द्विपक्षीय समझौते में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन पर और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की विषमताओं पर बातचीत को टाल रही है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों जैसे कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करना, फिटमेंट फार्मुला और न्युनतम वेतन पर पुनर्विचार, मतों को यथावत रखना और पेंशन फिटमेंट फार्मुला के रूप में विकल्प नं. को चुनने का प्रावधान जैसे मांगों में समाधान के लिए सरकार ने चार उप–समितियों का गठन किया था। लेकिन हुआ कुछ नहीं।

रक्षा और रेल समेत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठन सरकार के विश्वासघात के खिलाफ और नई पेंशन स्कीम को रद्द करने समेत अन्य वास्तविक मांगों के लिए संयुक्त आंदोलन की योजना बना रहे हैं। यह राष्ट्रीय सम्मेलन उनके संघर्षों का पूर्ण समर्थन और मांगों का अनुमोदन करता है।

जुलाई 2015 में हुई पिछली ट्रेडियन लेबन कान्फेंस के बाद अब तक आईएलसी का कोई सम्मेलन नहीं हुआ बल्कि आईएलसी की तय तारीखों को खारिज कर दिया गया। सरकार या इसके मंत्रियों के समूहों की ओर से ट्रेड यूनियनों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई।

कामगारों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि आज 28 सितम्बर 2018 को मावलंकर हाल में दस केंद्रीय यूनियनों द्वारा औद्योगिक और सर्विस सेक्टर के मजदूरों और कर्मचारियों जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों, रक्षा उत्पादन कर्मचारियों की स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ आयोजित किया जा रहा है, यह सम्मेलन केंद्रीय सरकार की उन कार्पोरेट उन्मुखी, राष्ट्रीय विरोधी, जन–विरोधी नीतियों पर गंभीर

चिंता व्यक्त करता है जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और गंभीर रूप से पूरे देश की कामगार लोगों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है।

राष्ट्रीय सम्मेलन सर्वसम्मति से देश की सबसे बड़े केन्द्रीय ट्रेड यूनियन (इंटक) को सभी द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों और कमेटियों मंचों में प्रतिनिधित्व करने से वंचित करने के सरकार के षड़यंत्रकारी और सत्तावादी हमलों को कड़ी निंदा करती है। यह समस्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के अधिकार पर गंभीर और कुत्सित हमले के अलावा और कुछ नहीं है।

यह सम्मेलन गंभीर चिंता के साथ संज्ञान लेती है कि सरकार लगातार न्यूनतम वेतन, सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा, स्कीमवर्कर्स को वर्कर्स का दर्जा के साथ–साथ वेतन और सुविधाओं, वित्तिय सेक्टरों समेत पब्लिक और सरकारी क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ व्यापक पैमाने पर ठेकाकरण के खिलाफ, आईएलओ कन्वेंशन 87 और 98 का दृष्टिकरण आदि पर 12 बिन्दु मांग पत्र, जो कि देश को पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा संयुक्त रूप से अपनाई गयी है, को अहंगारी ढंग से अनदेखा कर रही है। होमवर्क और घरेलू काम पर आईएलओ कन्वेशंन की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। सरकार की नीतियों के खिलाफ करोड़ों कामगारों ने कई राष्ट्रव्यापी संयुक्त हड़ताल कार्यवाही की है जिसमें 2 सितम्बर 2015 और 2 सितम्बर 2016 की हड़तालें प्रमुख है इसके बावजूद केंद्र की सत्ताधारी सरकार देश के कामगार लोगों के अधिकारों और अजीविका पर हमले बढ़ा रही है।

श्रम संघन क्षेत्रों तक में रोजगार सृजन के नकारात्मक होने के साथ बेरोजगारी की स्थिति बहुत बिगड़ रही है। उद्योगों के बंद और कामबंदी की हालत और आई टी सेक्टर में काम बंद होने के पूर्वानुमान आग में घी डाल रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं, सार्वजकनक परिवहन, बिजली, दवाई आदि के दामों में वृद्धि सामान्य रूप से लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर दबाव डालने के साथ–साथ दरिद्रता के पार का गहरा और चौड़ा कर रहा है। जीएसटी को हड़बड़ाहट से लागू करने से मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यहां तक की अनिवार्य और जीवनदायी दवाईयां भी भारी जीएसटी के दायरे में डाल दी गई है। सामाजिक क्षेत्र और कई कल्याणकारी परियोजनाओं पर सरकारी खर्चों में भारती कटौती ने मजदूरों, खासतौर से, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत को गंभीर बना दिया है।

आधुनिक गुलामी प्रथा को कायम करने के लिए इसने पिछले दरवाजे से निर्धारित अवधि रोजगार शुरू किया, पारिवारिक उद्यमों में 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को काम पर लेने की अनुमति देना, अप्रेंटिसशिप एक्ट में नियोक्ता उन्मुखी बदलाव किए।

पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी दाम वृद्धि के व्यापक प्रभाव के कारण बने हालत ने रोजमर्रा के इस्तेमाल और खासतौर से खाद्य वस्तुओं के दामों के वृद्धि ने आम जनता प्रताड़ित हो रही है। सरकार की तेज रफ्तार नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर चलने के संकट को नोटबंदी के बाद के असर और दोषपूर्ण जीएसटी बूरी तरह से गहरा रहे हैं एक ओर रोजगार में कमी और दूसरी ओर छंटनी, काम छूटना, गैर कानूनी बंदी साधारण परिवारों को भोजन, बच्चों की शिक्षा, बीमार और बूढ़ों के इलाज के लिए दयनीय दशा में डाल रही है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बढ़ते काम बोझ के बावजूद पिछले पांच साल में कोई नए रोजगार सृजित नहीं किए गए। इसके विपरीत, अनिवार्य रूप से 3% सरकार पदों का आत्मसमर्पण जारी है। इस सरकार के शासन में एसएसबी जैसी

और अन्य प्रतियोगी भर्त्ती परिक्षाओं में घोटालों ने शिक्षित बेरोजगारो के घावों पर नमक छिड़का है। निजी क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर मैनपावर को कम करने वाले हालात बने हुए हैं।

स्वतंत्र और नियोक्ता संगठनों द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार नोटबंदी के पहले कुछ महीनों में लाभग 70 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ 2.34 लाख छोटी फैक्टरी ईकाइयां बंद हुई। असंगठित अर्थव्यवस्था में 6 करोड़ लोगों की आजिविका को नुकसान और 17 लाख नौकरियों का खत्म होना सोचनीय जमीनी हकीकत को बयान करती है। इस तरह दयनीय नतीजों के सामने सरकार आंकड़ों का घालमेल कर तोड़ मरोड़ कर रोजगार सृजन के झूठे दावों के पेश करने में व्यस्त है। श्रम मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले नियमित रोजगार सर्वे बंद कर दिए गए है।

सरकार का मजदूर विरोधी सत्तावादी चरित्र अच्छे से दिखता है जब वह सहमति से बनी उन अनुशंसाओं जैसे के ढका मजदूरों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और सुविधाएं, 15वीं आईएलसी/सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय के अनुसार न्युनतम वेतन का समीकरण, आंगनबाड़ी, मिड–डे–मिल, आशा, मनरेगा स्कीम वर्करों और घरेलू वर्करों का वर्कर का दर्जा देने आदि को लागू करने से मना करती है। (जिसमें कि सरकार स्वयं परवर्त्ती इंडियन लेबर सम्मेलनों में एक पक्षकार थी) हैरानी की बात है कि सरकार 'समान काम के लिए समान वेतन और सुविधाएं" डेवीएस 1995 पर और वास्तविक पे और महंगाई भत्ते के आधार पर पेंशन में हिस्सेदारी और गणना जैसे हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करने से मना कर रही है।

निर्माण क्षेत्र जहां कि भारी मात्रा में असंगठित कार्यबल लगा है वहां भी सरकार निर्माण मजदूर के हितों और सुविधाओं के लिए बेन निर्माण मजदूर सेस फंड के इस्तेमाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का समुचित कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकार निर्णय लेने वाले तंत्रो में केन्द्रीय और राज्य ट्रेड यूनियनों को अनदेखा कर रही है। किसी भी शहार की लगभग 2.5% आबादी फेरी–खोमचे वाली है।

स्ट्रीट वेंडिग (आजिविका का संरक्षण और फेरी–खोमचे नियमन) 2014 अधिनियम का सड़क–फेरी ड्रेस व्यवस्थित तरीके से विफल किया जा रहा है।

जीएसटी के लागू किए जाने से बीड़ी मजदूर का रोजगार और कल्याण भी खतरे में है, जहां बीड़ी कारोबारी नाजुक हालत वाले नियोक्ता कर्मचारी संबंधों को मानने से मना कर रहे हैं।

देश की सभी ट्रेड यूनियनों का अपनी सबद्धताओं से उपर उठ कर सरकार के नियोक्ता–उन्मुखी और पूरी तरह मजदूर–विरोधी श्रम कानून–सुधार कार्यक्रमों के विरोध के बावजूद सरकार आक्रामांक रूप से इन नीतियों को आगे बढ़ा रही है। कठिनाई से हासिल किए गए 44 केन्द्रीय श्रम कानूनों को सरकार ने 'आसानी से बिजनेस करने', 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप' आदि के नाम पर कर्मचारियों को हायर एंड फायर करने के लिए 4 मजदूर विरोधी, नियोक्ता उन्मुख श्रम कानून बनाए हैं। इम्पलाइज प्रोविडेन्ड फंड आर्गनाइजेशन, कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फंड और इम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन और कल्याण संबंधी सेस उन्मूलन एवं कई अन्य कल्याणकारी विधानों के अंतर्गत मौजूदा वैधानिक सामाजिक सुरक्षा को छिन्न–भिन्न करना ताजातरीन हमला है और वर्कर्स के सहयोग से बना 24 लाख करोड़ रू. का विशाल सामाजिक सुरक्षा फंड को हड़पना और 'सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा' बीजेपी नेत्रृत्व में चल रही केंद्र की एन.डी.ए सरकार के भ्रष्टाचार के कई मामलों का पर्दाफाश सत्ताधारियों के असली चेहरा दर्शाता है और रफाल सौदा तो सबसे बढ़े घोटाले के रूप में पर्त दर पर्त सामने आ रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर वैधानिक तथा कार्यकारिणी निर्देशों के जरिए से आक्रमण किए जा रहे हैं। सरकार का असली उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करना और फिर से उन्हीं निजी कार्पोरेट अपराधियों को नाजायज फायदा पहुंचाना जिन्होंने पहले लिए हुए कर्जों को नहीं लौटाया और बैंकिंग व्यवस्था को गहरे संकट की अवस्था में पहुंचाया। एन.पी.ए. की समस्या को हल करने की बजाए, कार्पोरेट घरानों की लूट को जायज बनाने के लिए सरकार बैंकों के विलपीकरण करने की नीति लेकर आगे बढ़ रही है जिससे वास्तव में बहुत से बैंक ब्रांच बंद हो रही हैं, कर्मचारियों की नौकरियां खत्म हो रही है तथा सार्वजनिक बैंकों की आम जनता तक पहुंच को कम किया जा रहा है। एनपीए 13 लाख करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। विजय माल्या के बाद, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भी भारतीय व्यवस्था को धोखा देते हुए भारतीय जनता के पैसे को लूट कर भाग गए। सरकार एफ.आर. डी.आई. बिल लेकर आई, ट्रेड यूनियनों के तथा समाज के कई अन्य हिस्सों द्वारा सख्त विरोध के चलते सरकार को यह बिल वापिस लेना पड़ा।

लेकिन अब सरकार इन्सोलबैंसी और बैंकक्रप्सी कोड लेकर आ गई हैं जिसका मकसद है कि जो कार्पोरेट घरानों कर्जा नहीं चुका रहे है उनको इस लूट में से बहुमत हिस्सा लेकर मांगने का मौका मिले इस बहाने के तहत कि हम कर्जा के हल की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसके चलते बैंकों को केवल 30 प्रतिशत ही उस कर्जा पैसे समेंत से वापिस लौटेंगे। यह एक बहुत बड़े घोटालों का रास्ता है जिसके चलते देश के संकट ग्रस्त अर्थतंत्र पर और गहरा आघात लगेगा।

बैंकों और टेलीकॉम में काम करने वाले ठेका कर्मियों को निकाला जा रहा है। इंश्योरेस सेक्टर पर भी आक्रमण जारी है। देश के मुख्य पोर्ट भी कानून की सहारे से निजीकरण की तरफ धकेलने की भरपूर तैयारी हो चुकी है। केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान जिसमें कोर सेक्टर तथा रणनीतिक सेक्टर भी सम्मिलित है, जैसे ऊर्जा, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, धातु, खानन, मशीन बनाने के, एलक्ट्रोनिकल तथा डीजिटल, सड़क, वायु तथा जल ट्रांसपोर्ट, पोर्ट एण्ड डॉक आदि कई अन्य सरकार द्वारा निजीकरण के हमले की मार में है। जम्म–कश्मीर में एक ही सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान आई.टी.आई लिमिटेड है और सरकार उसकी जमीन और उत्पादन की बिल्डिंग को NSG Huib बनाने के नाम पर हड़पने की तैयारी में है। यह कन्वेंशन संज्ञान लेता है। कि इन सभी सेक्टर के कर्मचारी मिल कर इन नीतियों के विरूद्ध संघर्षरत है।

सरकारी सेवा क्षेत्र के कर्मचारी समेत स्कीम वर्कर्स् घरेलू कामगार, प्रवासी मजदूर व अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर संयुक्त संघर्ष आयोजित कर रहे हैं।

यह कन्वेंशन यह भी मांग करता है कि डिफेंस सेक्टर में एक रैंक एक पेंशन जो कुछ के लिए घोषित की गई है वो सभी को एक समान उपलब्ध होनी चाहिए।

साजिश हो रही है, उस की कड़े शब्दों में निंदा करता है, भा.ज.पा की सरकारें विरोधी मत और अभिव्यक्ति स्वतंत्रभ्य के खिलाफ एनएसए, यूएपीए जैसे घिनौने कानूनों का तथा सीबीई, एनआईए, आईटी जैसी एजेंसियों का खुले आम इस्तेमाल कर रही हैं, शांतताप्रेमी, धर्मनिरपेक्ष जनता असुरक्षितता और दहइानमंद माहौल का अनुभव कर रही है। सांप्रदायिक ताकतें किसी भी छोटे मुद्दों को उछाल कर समाज में टेढ़ पैदा कर रही है। हम जो 12 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उस के लिए मजदूर और अन्य श्रमिकों की एकता अहम महत्व रखती है और

ठीक उसी पर यह सांप्रदायिक ताकतें हमला कर रही है मजदूर वर्ग ने इस के खिलाफ पूरी संजिदगी से आवाज उठानी चाहिए।

इस सरकार की जनविरोधी, मजदूरविरोधी तथा देशविरोधी, पॉलिसिया न सिर्फ श्रमिकों पर बोझ डाल रही है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके चमचे देशों कॉर्पोरेटस के हित में देश के अर्थव्यवस्था की नींव ही उखाड़ रही हैं, अपने देश की उत्पादन क्षमता को ही खत्मक कर रही हैं। जनहित की पॉलिसियां अमल में लाने के लिए, यह जनविरोध और देशविरोधी नीतियों चलानेवाले सरकार को निकाल बाहार करना ही होगा और इसलिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग के इस गंठबंधन को अपने संघर्ष अधिक तीव्र करने होंगे।

कई राज्य सरकारों का प्रयास है कि निजी ट्रांर्स्पोट कंपनियों को रूट परमिट दे कर सार्वजनिक बस सेवा को समाप्त किया जाए। केंद्र सरकार का भी इरादा है कि नया मोटर वेहीकल (अमेंडमेंट) बिल, 2017 किसी प्रकार लोकसभा में पारित कर लें। यह कानून रोड ट्रांस्पोर्ट पूरी तरह से निजी ट्रांस्पोर्ट वर्करों पर सेवा की भंयकर शर्तों थोप देगा। इससे निजी कंपनियों के वर्कर भी नहीं बचेंगे। इस बिल से पहले सरकार ने रोड़ ट्रांस्पोर्ट एंड सेफ्टी बिल, 2014 पेश किया था। राजस्थान रोड ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स यूनियन ने अन्य यूनियनों को साथ लेकर उसके खिलाफ जमा कर संघर्ष किया था। आज भी वे 16 सितंबर 2018 से अनिश्चितकालिन हड़ताल पर हैं क्योंकि राजस्थान के ट्रांस्पोर्ट मंत्री ने उन्हें जो आश्वासन दिये थे, उन से मंत्री जी मुकर रहे हैं, और कई डिपों निजी ट्रांस्पोर्ट मंत्री ने उन्हें जो आश्वासन दिये थे, उन से मंत्री जी मुकर रहे हैं, और कई डिपों निजी ट्रांस्पोर्ट कंपनियों को देने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वेंशन ऐसे सभी संघर्षों का स्वागत करता है। खास कर महाराष्ट्र के ट्रांस्पोर्ट वर्करों को सलाम करता है उन की मांगों के समर्थन में उन्होंने चार दिन की झुझार सफल हड़ताल की जो उन की चट्टान जैसी एकता, एक–दूसरे से संपर्क करने की कुशलता और लगन के कारण सरकारी दमन और कुछ हड़ताल विरोधी तत्वों पर मान कर सकी। कन्वेंशन ट्रांस्पोर्ट वर्करों का देशव्यापी शानदार हड़ताल, जो 7 अगस्त 2018 को संपन्न हुई, उस का भी खास उल्लेख करता है। हड़ताल मोटर वेहीकल अमेंडमेंट बिल के विरोध में था और मजदूरों ने व्यापक रूप से उस में भागीदारी की कन्वेंशन राज्य सरकारें – खास सरकार ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के प्रति जो जनविरोधी और मजदूर विरोधी रवैय्या अपना रही हैं, उस की कड़े शब्दों में निंदा करता है।

यह राष्ट्रीय कन्वेंशन अलग–अलग राज्यों में किसान जो संघर्ष कर रहे हैं और ज्वाईंट नैशनल फोरम ऑफ पंजिंट्स ऑर्गनायझेशन्स के झंडे के साथ जो संघर्ष चला रहे हैं, उस के साथ मातृभाव प्रकट करता है। साथ ही आदिवासी जनता फॉरेस्ट राईटस् एक्ट 2006 को लागू करवाने के लिए जो संघर्ष कर रही है, उसका पूरजोर समार्थन करता है। कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक संख्या में लोग निर्भर है। लेकिन उस क्षेत्र में भी वहीं कॉर्पोरेट–समर्थक, जमींनदार – समर्थक पॉलिसिंया संकट पैदा कर रही है जिसके फलस्वरूप किसान हजारों की तादाद में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। खेती की उपज को खर्चे के डेढ़ गुना दाम की हमी देने का तो दूर रहा, जिस दाम का खर्चे के डेढ़ गुना होने का दावा किसा गया वह भी झूठसाबित हुआ और किसानों से खिलवाड़ किया गया।

यह नेशनल कंवेंशन सरकारी यंत्रणा की मदद से समाज में सांप्रदायिकता और फूट डालने की जो आजे जो अलग–अलग क्षेत्रों में संघर्ष हो रहे हैं, उन्हें एक ही आंदोलन में पिरोह कर उसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जिम्मेदारी केंद्रीय ट्रेड यूनियन तथा स्वतंत्र नेशनल फेडरेशंस के इस जॉईंट फॉटफॉर्म की है, जो अंततोगतवा देशव्यापी हड़ताल में तबदील हो, जो तमाम छोटे–छोटे संघर्षों को एकता के आधार पर देशव्यापी स्तर पर ले जाए। इस लिए यह

नेशनल कन्वेंशन निम्नलिखित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

1. अक्टूबर/नंवकर 2018 के दरम्यान राज्य, जिला और उद्योग/क्षेत्र के स्तर पर जॉईंट कन्वेंशन का गठन

2. उद्योग–स्तर पर जॉईंट द्वारा सभाएं, रैली जो नवम्बर–दिसम्बर, 2018 के दरम्यान प्रदर्शन करते हुए हड़ताल का नोटिस देना;

3. 17–22 दिसम्बर, 2018 के दरम्यान प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की नोटिस देना,

4. 8 और 9 जनवरी 2019 को दो दिन की देशव्यापी हड़ताल

यह नेशनल कन्वेंशन तमाम श्रमिक जनता से अपील करता है कि आप किसी भी संगठन के हो, किसी भी क्षेत्र या राज्य के हो, एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए।